संख्याः—374 / 2020 उनवानः हनुमान बनाम ग्राम पंचायत पनवाड़
दिनांकः—29.07.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 217 / 2022 — निर्णय दिनांक :—29.07.2022

उनवानी अपील :

1. कप्तान पुत्र रघुनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सरिता पत्नी शैतान जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. कन्या पुत्री रघुनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. लछमा पुत्री रघुनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावा तहसील देवली जिला टोंक राज0

— अपीलान्ट —

बनाम

1. ग्राम पंचायत पनवाड़, ज़रिए सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़ तहसील देवली जिला—टोंक राज0
2. तहसीलदार देवली, जिला टोंक

— रेस्पोडेन्ट —

उपस्थिति :—

श्री सत्य नारायण धाकड़
अधिवक्ता अपीलान्ट

इकबालिया जवाब
रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अपील विरूद्ध आदेश संरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़
दिनांक 09.12.2015 नामान्तकरण संख्या 237

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता रघुनाथ पुत्र श्री लाल एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 78 ख. नं. 470 रकबा 2.16 है0, ख. नं. 474 रकबा 1.00 है0, कुल किता—2, कुल रकबा 3.16 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है जिसमें अपीलांटस के पिता का 1 / 12 हिस्सा है अपीलांटस के पिता रघुनाथ पुत्र श्री लाल मीणा की मृत्यु होने के बाद उनका फोती का नामांतकरण संख्या 237 दिनांक 09.12.2015 को पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत की कोरम मे प्रस्तुत किया जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त नामांतकरण खारिज कर दिया गया जो गलत है एवं विधि विरूद्ध है। रघुनाथ अपीलांट के पिता थे जिससे उत्पीड़ित होकर यह अपील

कर्ठ कारणो में निम्न रूप से पेश है:–अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पनवाड़ का आदेश विधि विधान तथा तथ्यो के विपरित है इस कारण से निरस्त किये जाने येाग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़ ने नामांतकरण खारिज करनें से पूर्व मौके पर जाकर मृतक रघुनाथ पुत्र श्रीलाल मीणा के वारिसान के बाबत कोई जांच नही की और न ही आस पास के पड़ोसयो के बयान लिये गये इस कांरण उक्त नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक रघनाथ पुत्र श्रीलाल मीणा की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत पनवाड़ ने नामांतकरण खारिज करने से पूर्व अपीलांटस से उनके पिता के वारिसान बाबत कोई पूछताछ नहीं की तथा अपीलांटस के पिता का नाम रघुनाथ पुत्र श्रीलाल मीणा है तथा रघुनाथ अपीलांटस के पिता है इस बात पर भी ध्यान नहीं देकर कानूनी भूल की है। दिनांक 11.04.2022 को जब अपीलाटस ने राजस्व रिकॉर्ड से उक्त आराजीयात की नामांतकरण की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई कि उनके पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तुर खातेदारी में चला आ रहा है तथा नामांतकरण खारिज कर दिया गया है। उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारन की खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नहीं चाही है इसलिये अपील में उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांटस द्वारा यदि अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई हो तो उसको क्षमा किये जाने के लिये अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़ जिला टोंक द्वारा खारिज किये गये नामांतकरण संख्या 237 दिनांक 09.12.2015 को निरस्त कर पुनः मृतक रघुनाथ पुत्र श्रीलाल मीणा के हिस्से की भूमि का नामांतकरण अपीलांटस / वारिसान के नाम भरे जाने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तलबी जारी की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– बिन्दू संख्या 1 ता 4 स्वीकार है। बिन्दू संख्या 5 व 6 माननीय न्यायालय का कानूनी बिन्दू है। माननीय न्यायालय से निवेदन है, कि अपीलांट द्वारा ना. सं. 237 दिनांक 09.12.2015 के संबंध में जो राहत चाही गई है, वह स्वीकार योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का इस अपील प्रकरण में उतरदायित्व नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के मुख्य तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण बिना जांच किये भरा जो खारिज करने योग्य है। अतः न्यायालय अपील स्वीकार की ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा भरा गया नामान्तकरण खारिज करने व पुन नामान्तकरण अपीलांटस के नाम भरने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण पंजिका ग्राम पनवाड़ में नामान्तकरण 237 में कॉलम संख्या 7 में खातेदार रघुनाथ के नाम का अंकन है। रघुनाथ के फोत होने के बाद कॉलम संख्या 9 में शैतान,कप्तान पुत्र कन्या, लछमा पुत्र रघुनाथ हि. 1/12 का अंकन कर है। कॉलम संख्या 16 में पटवार हल्का ने अंकन किया है कि खातेदार रघुनाथ मीणा

के फोती होने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज कर पेश है। इसी नामांतकरण पंजिका में यह अंकन है कार्यालय ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में दिनांक 09.12.2015 के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा यह नामांतकरण अस्वीकार किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में रूघनाथ पुत्र श्रीलाल का नाम खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जबकि ग्राम पंचायत नामान्तकरण रजिस्टर में स्पष्ट तौर पर यह अंकन किया गया है कि रूघनाथ फोत हो गया है। हाल सरपंच ग्राम पंचायत के जवाब में अपील को स्वीकार किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पनवाड़ ने नामांतकरण संख्या 237 को गलत अस्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 237 दिनांक 09.12.2015 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रघुनाथ पुत्र श्रीलाल के विधिक वारिसान की जांच कर, किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में, सही पाये जाने पर अपीलान्ट के नाम नियमानुसार नामान्तकरण का निस्तारण करे। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली